बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसंo–9/आo–04–54/2023(स्वाo) .... /पटना, दिनांकः–..................................

सिविल सर्जन, बेगूसराय के पत्रांक–03 दिनांक–02.01.2023 द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि डॉ० मो० शदमान हुसैन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बलिया, बेगूसराय दिनांक–16.06.2022 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. डॉ० हुसैन के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०–495(9) दिनांक–16.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन (अधिगम) में अनुबंध में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–1571(9) दिनांक–25.10.2023 द्वारा डॉ० हुसैन से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी जिसके आलोक में डॉ० हुसैन का प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ।

4. डॉ० हुसैन द्वारा अपने प्रत्युत्तर में सिविल सर्जन, बेगूसराय को आवेदन देकर हज यात्रा पर छुट्टी की प्रत्याशा में चले गये। हज यात्रा से वापस आने पर विभागीय पत्रांक–836(9) दिनांक–09.08.2023 के आलोक में दिनांक–14.08.2023 को पूर्व पदस्थापित स्थान पर योगदान कर वर्तमान में कार्यरत है। इनके द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा में कहा गया है कि अज्ञानता वश भूल से बिना छुट्टी स्वीकृत कराये हज यात्रा पर चले गये, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

5. डॉ० हुसैन द्वारा विधिवत छुट्टी नहीं लिया गया। अतः वे दोषी प्रतीत होते है। वर्तमान में डॉ० हुसैन दिनांक–14.08.2023 को योगदान कर अनुमंडलीय अस्पताल, बलिया, बेगूसराय में कार्यरत है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले के सम्यक समीक्षोपरान्त डॉ० हुसैन के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन संचयी प्रभाव से 01 (एक) वेतन वृद्धि रोकने एवं निंदन (आरोप वर्ष–2022) की शास्ति अधिरोपित करने तथा डॉ० हुसैन को दिनांक–16.06.2022 से 13.08.2023 तक की अवधि को कार्य नहीं तो वेतन नहीं (No Work No Pay) के साथ इस अवधि की गणना प्रोन्नति, DACP आदि में लाभ नहीं दिया जाएगा का दण्ड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

7. उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–3459 दिनांक–10.12.2024 द्वारा सहमति प्राप्त है।

8. डॉ० मो० शदमान हुसैन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बलिया, बेगूसराय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन संचयी प्रभाव से 01 (एक) वेतन वृद्धि रोकने एवं निंदन (आरोप वर्ष–2022) की शास्ति अधिरोपित करने तथा डॉ० हुसैन को दिनांक–16.06.2022 से 13.08.2023 तक की अवधि को कार्य नहीं तो वेतन नहीं (No Work No Pay) के साथ इस अवधि की गणना प्रोन्नति, DACP आदि में लाभ नहीं दिए जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

9. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

26/12/2024

(15)

ज्ञापांकः–9/आ0–04–54/2023(स्वा0) 1369(9) /पटना, दिनांकः– 26.12.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० मो० शदमान हुसैन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बलिया, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26/12/2024

सरकार के अवर सचिव।